

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

एफ 5/अभि./CTAD/275(1)बजट घोषणा/ईएमआरएस क्षमता वृद्धि/2020-21/ दि. :
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 25609 24/10/20
एवं पदेन परियोजना अधिकारी
शाहबाद जिला बारा।

विषय : एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) बालक हनौतिया पं.सं. शाहबाद जिला बारा में विभिन्न निर्माण कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।
प्रसंग : परियोजना प्रबंधक स्वच्छ परियोजना का पत्रांक एफ1()निदे./स्वच्छ/2020-21 /1519 दिनांक 05.10.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) बालक हनौतिया पं.सं. शाहबाद जिला में 24 डोरमेट्री, डायनिंग हॉल, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण, टॉयलेट ब्लॉक निर्माण, इलेक्ट्रीक रूम, गार्ड रूम, स्टाफ क्वार्टर, पूर्व में निर्मित स्कूल एवं छात्रावास का मरम्मत कार्य, ट्रेक निर्माण, आन्तरिक पाथ-वे, सीसीटीवी, सौलर लाईट, आरओ एवं इन्वर्टर आदि का निर्माण हेतु स्वच्छ परियोजना, उदयपुर से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना राशि रु. 489.18 लाख का प्राप्त हुआ। एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) बालक हनौतिया पं.सं. शाहबाद जिला बारा में प्रस्तावित निर्माण एवं सुविधाओं का विकास का विवरण निम्नानुसार है:-

S.No.	Name of Work	Amount
1	Part (A) - Construction of 24 No. Dormatory at ground, first & second floor	269.41
2	Part (B) - Construction of Dining Hall at ground floor	85.65
3	Part (C) - Construction of guard room	4.38
4	Part (D) - Construction of 4 Nos Toilet Block (Total 32 WC)	26.71
5	Part (E) - Construction of 2 No. Class Room	22.02
6	Part (F) -Maintenance of School, Staff Qtr & Hostel	17.55
7	Part (G) - Construction of Track	2.01
8	Part (H) - Construction of Internal Pathway	4.92
9	Part (I) - CCTV, Solar Light, Inverter & R.O.	5.49
	Total Estimate Coast	438.14
	Add 1.5% Contingency Charges	6.57
	Sub Total	444.71
	Add 10 % Establishment Charges	44.47
	Grand Total	489.18

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित राशि में से निम्नानुसार कार्य संपादित किये जाएंगे:-

क्र. सं.	तल	विवरण	मात्रा
A	भू-तल	8 डोरमेट्री 6 बेडेड	01
		डायनिंग हॉल	01
		टॉयलेट ब्लॉक (6 W.C., 6 Bath & Wash Area)	02
		इलेक्ट्रीक रूम	01
		अतिरिक्त टॉयलेट ब्लॉक (8 W.C. in Each Block)	04
		विद्यालय में कक्षा-कक्ष निर्माण	02
		विद्यालय, क्वार्टर एवं छात्रावास भवन में मरम्मत	
		ट्रेक निर्माण, आन्तरिक पाथ वे, गार्ड रूम, अन्य सुविधा- सीसीटीवी, सौलर लाईट, आरओ, इन्वर्टर	

B	प्रथम तल	8 डोरमेट्री 6 बेडेड	118
		टॉयलेट ब्लॉक (6 W.C., 6 Bath& Wash Area)	01
		इलेक्ट्रीक रूम	02
		वेटिंग रूम	01
C	द्वितीय तल	8 डोरमेट्री 6 बेडेड	01
		टॉयलेट ब्लॉक (6 W.C., 6 Bath& Wash Area)	02
		इलेक्ट्रीक रूम	01
		वेटिंग रूम	01

स्वच्छ परियोजना, उदयपुर से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना राशि रु. 489.18 लाख की प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-3 में वर्णित कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति अनुसार कॉलम संख्या-5 में वर्णित राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है -

क्र. सं.	जिला	स्थान	तकनीकी स्वीकृति	
			क्र/दि.	राशि
1	2	3	4	5
1	बारां	एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) बालक हनौतिया पं.सं. शाहबाद जिला बारा में 24 डोरमेट्री, डायनिंग हॉल, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण, टॉयलेट ब्लॉक निर्माण, इलेक्ट्रीक रूम, गार्ड रूम, ट्रेक निर्माण, आन्तरिक पाथ-वे, सीसीटीवी, सौलर लाईट, आरओ एवं इन्वर्टर आदि निर्माण पूर्व में निर्मित स्टाफ क्वार्टर, स्कूल एवं छात्रावास का मरम्मत कार्य	P.O./Swach Shahabad/Technical/ 2020- 21/323/05.10.2020	489.18

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 118/वर्ष 2019-20 में एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल विद्यालयों की मरम्मत एवं निर्माण कार्य हेतु प्राप्त राशि रु. 1500.00 लाख में से उपरोक्त कार्य की स्वीकृत लागत राशि रुपये 489.18 लाख की 50 प्रतिशत राशि 244.60 लाख (अक्षरे दो करोड चंवालिस लाख साठ हजार रु.) निदेशक स्वच्छ परियोजना, उदयपुर को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शर्तें-

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही ड्राईंग, तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
3. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से बनाया जावे।
4. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 एवं सामान्य लेखा व वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्ता पूर्वक किया जावे।
5. स्वीकृत कार्यों का **third party inspection** समय-समय पर करवाया जायेगा। **inspection** के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
6. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को पुनः लौटाई जावे।

7. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@rajasthan.gov.in पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
8. नवनिर्मित भवन के लिये कार्य के पूर्णता तिथि के पश्चात् 3 वर्ष में डिफेक्ट होने पर ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी एवं संवेदक की होगी। यह शर्त पूर्व में स्वीकृत कार्यों पर भी लागू रहेगी।
9. साईट प्लान, डिजाईन एवं ड्रॉइंग की प्रति आयुक्तालय को उपलब्ध करावें।

(जितेन्द्र कुमार उपाध्यक्ष) I.A.S.
आयुक्त

क्रमांक यथोपरि / 25609-21
प्रतिलिपि-

दिनांक : 24/10/20

1. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर जिला बारा।
4. निदेशक/परियोजना प्रबंधक, स्वच्छ परियोजना, बड़ी रोड उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 118/वर्ष 2019-20 में एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल विद्यालयों की मरम्मत एवं निर्माण कार्य हेतु प्राप्त राशि रु. 1500.00 लाख में से उपरोक्त कार्य की स्वीकृत लागत राशि रूपये 489.18 लाख की 50 प्रतिशत राशि 244.60 लाख (अक्षरे दो करोड़ चंवालिस लाख साठ हजार रु.) निदेशक स्वच्छ परियोजना, उदयपुर को हस्तांतरित करावे।
6. परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना, शाहबाद जिला बारा।
7. निदेशक मोनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. प्रधानाचार्य/अधीक्षक, एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) बालक हनौतिया पं.सं. शाहबाद जिला बारा।
9. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)